

[भारत के राजपत्र, (असाधारण), के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 89 /2020- सीमाशुल्क (गै.टै.)

नयी दिल्ली, दिनांक 17 सितंबर, 2020

का.आ. _____(अ). - सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 की उपधारा (34) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, की अधिसूचना संख्या 40/2012- सीमाशुल्क (गै. टै.) दिनांक 2 मई, 2012 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, उप-खंड (ii) में का. आ. 993(अ), दिनांक 2 मई, 2012 के तहत प्रकाशित किया गया था, में आगे और भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

i. क्रम संख्या 3 के समक्ष कॉलम (3) में, मद (viii) के बाद निम्नलिखित मद को स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(viiiia) धारा 28DA;”.

ii. क्रम संख्या 4 के समक्ष कॉलम (3) में, मद (ia) के बाद निम्नलिखित मद को स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ib) धारा 28DA;”.

iii. क्रम संख्या 5 के समक्ष कॉलम (3) में,-

क. मद (iva) के बाद निम्नलिखित मद को स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ivb) धारा 30A;”;

ख. मद (vi) के बाद निम्नलिखित मद को स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(via) धारा 41A;”;

ग. मद (xi) के बाद निम्नलिखित मद को स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(xia) धारा 53 ;”.

2. यह अधिसूचना 21 सितंबर, 2020 से लागू होगी।

[फा. स. 450/47/2019-सीमाशुल्क IV]

अरि आनंद

(आनंद राधाकृष्णन)
उप सचिव (सीमाशुल्क)

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 40/2012-सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 2 मई, 2012 को का.आ. 993 (अ), दिनांक 2 मई, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में

प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 43/2019-सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 18 जून, 2019 को का.आ. 1974(अ), दिनांक 18 जून, 2019 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था। ।